डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री जी0 एल0 मीना (R.A.S.)**

1. रामदुलारी बेबा गुल्ला जाति कुशवाह निवासी विदरपुर रोड बाडी तह0 बाडी

बनाम

1. रामचरन पुत्र रामचन्द जाति कुशवाह निवासी बर के पेड के पास सैंपऊ रोड बाडी
2. महेश पुत्र रामसिंह (ब्रजेश) जाति ब्राह्मण निवासी हौद कस्वा बाडी तह0 बाडी
3. अहमद जमां खाँ पुत्र अब्दुल बहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी बाडी तह0 बाडी
4. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी

दावा दावत

मुकदमा नं. **113/2014**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय

व हाजरी **श्री सत्येन्द्रसिंह परमार एड0** मिनजानिव मुद्दई **श्री अशोक शर्मा, रामदीश भारद्वाज एड0** मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है दावा वादीया तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीया व प्रति0 के नाम तदनुरुप रिकार्ड पटवार ग्राम विदरपुर में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. रामचरन पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 8/15 व महेश पुत्र रामसिंह (ब्रजेश) कौम ब्रा0 सा0 मौहल्ला हौद कस्वा बाडी व अहमद जमां खाँ पुत्र अब्दुल बहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी किला गुमट कस्वा बाडी हि0ब0 7/17 खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
21/1	0–15	बा0अलिफ	2.25

2. रामदुलारी पत्नी गुल्ला कौम कुशवाह सा0 बाडी खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
21/2	0–18	बा0अलिफ	2.70

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीया के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें।

नीज .... मुबलिग.................... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **14** माह **07** साल **2016** को जारी की गई।

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी

मुहर

ओहदा **उपखण्ड अधिकारी बाडी**

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) रू0		
महनतनामा वकील) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री जी0एल0 मीना (आर0ए0एस0)

उनवान

रामदुलारी बनाम रामचरन

1. रामदुलारी बेबा गुल्ला जाति कुशवाह निवासी विदरपुर रोड बाडी तह0 बाडी

वादीया :–

बनाम

1. रामचरन पुत्र रामचन्द जाति कुशवाह निवासी बर के पेड के पास सैंपऊ रोड बाडी
2. महेश पुत्र रामसिंह (ब्रजेश) जाति ब्राह्मण निवासी हौद कस्वा बाडी तह0 बाडी
3. अहमद जमां खाँ पुत्र अब्दुल बहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी बाडी तह0 बाडी

प्रतिवादीगण :–

4. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीया के वकील – श्री सत्येन्द्रसिंह परमार एड0
प्रतिवादीगण के वकील – श्री अशोक शर्मा, रामदीश भारद्वाज एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0 अधि0

दावा सं. 113/2014

दिनांक :– 14.07.2016

निर्णय

वादीया द्वारा उक्त उनवान का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

आराजी ख0नं0 21/1–13 बांके ग्राम विदरपुर तह0 बाडी में स्थित है। जिसमें वादीया 18/33 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त कर रही है। विवादित आराजी में प्रति0 सं0 1 8/13 हिस्से का एवं प्रति0 सं0 2 व 3 7/33 हिस्सा है। विवादित आराजी का आज तक बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी आबादी के नजदीक आ चुकी है एवं प्रति0 इसमें प्लाट बनाकर दीगर लोगों को बेचना चाहते है। दिनांक 17.07.2014 को प्रति0 दीगर लोगों को साथ लेकर आराजी पर आये और जो हिस्सा आबादी की तरफ आ गया है उसमें प्लाट बनाकर बेचने की बात करने लगे। इस पर वादीया ने कहा कि मेरा हिस्सा अलग किये बिना आप विवादित आराजी को नहीं बेच सकते। इस पर प्रति0 प्लाट बनाकर बेचने पर अडे रहे तथा मेरा हिस्सा अलग देने को तैयार नहीं है। उक्त हालातों में वादीया का प्रति0 के साथ शामिल काश्त करना संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में वादीया के लिए आवश्यक हो गया है कि वह प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करावे कि वह वादीया केक आधिपत्य की आराजी को विक्रय नहीं करे, ना ही कोई निर्माण कार्य करें, ना वादीया के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ही करें। इन विवादों

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

में वादीया के लिए यह भी आवश्यक हो गया है कि वह आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस करावे तथा तदनुसार मेडबन्दी कायम करावे तथा खाता अलग कायम करावे एवं बाद बंटवारा प्रति0 वादीया की आराजी में कोई दखलन्दाजी न करें ऐसा प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

इस प्रकार दावा प्रस्तुत कर वादीया ने निवेदन किया कि :–

विवादित आराजी ख0नं0 21/1–13 बांके ग्राम विदरपुर तह0 बाडी में वादीया के प्राप्त हिस्से 18/33 को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर तदनुसार मेडबन्दी कायम करायी जावे तथा राजस्व रिकार्ड में खाता अलग कायम किया जावे। प्रति0 को जरिये आदेश स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी में प्लाट बनाकर नहीं बेचें, ना ही कोई निर्माण करें, ना ही रहन वय करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 सं0 1 ने जवावदावा प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि :–

विवादित आराजी पर वादीया व प्रति0 का मौके पर अलग अलग कब्जा है तथा अलग अलग काश्त हो रही है। विवादित आराजी का वादी व प्रति0 के मध्य वाहमी बंटवारा हो रहा है। जिसके अनुसार ही काबिज रहकर काश्त कर रहे है। प्रति0 सं0 1 का हिस्सा 8/13 अंकित किया है वह गलत है। प्रति0 सं0 1 का विवादित आराजी में 8/33 हिस्सा है। प्रति0 द्वारा अपने हिस्से में काफी लागत लगाकर उपजाऊ बनाया है। वाद कारण की तारीख को प्रति0 से कोई बातचीत नहीं हुई है। वादीया ने झूठे वाद कारण पर यह वादपत्र पेश किया है।

अतः दावा वादीया मय हर्जा खर्चा के निरस्त किया जावे।

प्रति0 सं0 2 व 3 ने जवावदावा प्रस्तुत कर दावे में दावे में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए उजरात मजीत मय काउण्टर क्लेम के अंकित किया है कि :–

विवादित आराजी का बंटवारा पूर्व स्वामियों के बीच हो चुका है। तब उनको सैंपऊ रोड से विदरपुर को जो रास्ता गया है उस से लगी हुई उत्तर दिशा में प्रति0 सं0 2 व 3 को 07 विस्वा आराजी पर स्वामित्व व कब्जा समर्पित किया था। वादीया ने यह दावा महज प्रति0 को तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया है।

प्रति0 ने अपने काउण्टर क्लेम में अंकित किया कि :–

वाहमी बंटवारे के मुताबिक वादीया व प्रति0 के बीच बंटवारा किया जावे तथा उसी मुताबिक कुर्रेजात बनवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खाता कायम किया जावे। वादीया को हुक्म ईम्नताई दवामी से पावन्द किया जावे कि वह प्रति0 सं0 2 व 3 के वाहमी बंटवारे में आई आराजी पर वादीया किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें। ना अन्य से करावें।

इस प्रकार प्रति0 ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

प्रति0 सं0 2 व 3 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीया को हुक्म ईम्नताई दवामी से पावन्द किया जावे प्रति0 सं0 2 व 3 के वाहमी बंटवारे में आई आराजी पर वादीया किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा नहीं करें। वाहमी बंटवारे के मुताबिक वादीया व प्रति0 सं0 2 व 3 का बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में वाहमी बंटवारे के मुताबिक ही वादीया व प्रति सं0 2 व 3 के नाम का अमल किया जावे।

उपखण्डाधिकारी

तत्पश्चात पत्रावली कोर्ट कैम्प रूपसपुर में रखी गई। जहां केवल वादीया उपस्थित आई तथा प्रति0 अनुपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वादीया को सुना गया। चूंकि वादीया विवादित आराजी में प्रति0 के साथ सह खातेदार है। अतः वह प्रश्नगत आराजी में सह खातेदार होने की हैसियत से बंटवारा कराने की मुश्तहक है। कोर्ट कैम्प में ही मौके पर तहसीलदार बाडी से कुर्रेजात मंगाये गये। तहसीलदार बाडी ने मौके पर ही कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। जिस पर वादीया ने अपनी सहमति व्यक्त की। वादीया द्वारा दी गई सहमति के आधार पर प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार वादीया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीया तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीया व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम विदरपुर में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. रामचरन पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 8/15 व महेश पुत्र रामसिंह (ब्रजेश) कौम ब्रा0 सा0 मौहल्ला हौद कस्वा बाडी व अहमद जमां खाँ पुत्र अब्दुल बहाव खाँ जाति मुसलमान निवासी किला गुमट कस्वा बाडी हि0ब0 7/17 खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
21/1	0–15	बा0अलिफ	2.25

2. रामदुलारी पत्नी गुल्ला कौम कुशवाह सा0 बाडी खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
21/2	0–18	बा0अलिफ	2.70

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीया के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे। निर्णय के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प रूपसपुर में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बाडी